कार्यवाही विवरण

मेसर्स गणपति मिनरल्स, डोलोमाईट माईन (प्रो.—श्री विजय कुमार गुप्ता), ग्राम—मोहभट्ठा, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक—188 (पार्ट), 189, 190/1, 190/2, 225, 226 एवं 227, कुल क्षेत्रफल—4.91 हेक्टेयर, डोलोमाईट (गौण खनिज), खदान उत्खनन क्षमता—45,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 06.10.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान—मोहभट्ठा—मनियारी पक्की सड़क मार्ग पर स्थित धान खरीदी केन्द्र भूमि खसरा नम्बर 1308 रकबा—1.41 हेक्टेयर ग्राम—मोहभट्ठा, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स गणपति मिनरल्स, डोलोमाईट माईन (प्रो.—श्री विजय कुमार गुप्ता), ग्राम—मोहभट्ठा, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक—188 (पार्ट), 189, 190/1, 190/2, 225, 226 एवं 227, कुल क्षेत्रफल—4.91 हेक्टेयर, डोलोमाईट (गौण खनिज), खदान उत्खनन क्षमता—45,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र बिजनेस स्टैण्डर्ड, नई दिल्ली में दिनांक 06.09.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 06.09.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 06.10.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान—मोहभट्ठा—मनियारी पक्की सड़क मार्ग पर स्थित धान खरीदी केन्द्र भूमि खसरा नम्बर 1308 रकबा—1.41 हेक्टेयर ग्राम—मोहभट्ठा, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला—बेमेतरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला—बेमेतरा, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला—बेमेतरा, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मोहभट्ठा, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला—दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर—19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका—टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में लिखित अथवा

मौखिक रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 06.10.2023 को समय दोपहर 12:25 बजे, स्थान–मोहभट्ठा–मनियारी पक्की सड़क मार्ग पर स्थित धान खरीदी केन्द्र भूमि खसरा नम्बर 1308 रकबा–1.41 हेक्टेयर ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तदोपरान्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री कृपाल पाल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
   - ➢ खदान के पास मेरा खेत है। क्रशर का धूल मेरे खेत में जाता है। क्रशर में पानी डालने के लिये बोला जाता है तो सुपरवाईजर सुविधा उपलब्ध नही है बोलता है। क्रशर से 30 मीटर की दूरी पर मेरा खेत है। खदान खुलने से मुझे आपत्ति है।

2. **श्री भूषण पाल, सरपंच, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
   - ➢ खदान में हमें कोई आपत्ति नही है। मैं इसका समर्थन करता हूं। जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना है। क्रशर से होने वालू धूल को रोकना है।

3. **श्री कौसलराम साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
   - ➢ खदान में इतना जोर से ब्लास्टिंग होता है कि दिवाल में क्रेक हो जाता है। खदान के पास मोड़ में गिट्टी गिरता है वहां पर चलना मुश्किल हो जाता है। धूल की वजह से रहना मुश्किल हो जाता है। बोर में वॉटर का लेवल डाउन हो जा रहा है।

4. **श्री बोधीराम साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां के ब्लास्टिंग से पीने का पानी बद्बूदार हो जा रहा है। ब्लास्टिंग के बाद एक घण्टा कहीं पर भी जाओ धूल ही धूल रहता है। खदान हमारे हित में नही है।

5. **श्री मोतीलाल मारकण्डे, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ खदान का माल सड़क में लेने से सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गये हैं। रोड को बनवाया जाये। धूल की वजह से पूरा आंख में धूल धूल हो जाता है। सभी काम मशीनों से हो रहा है किसानों को कोई रोजगार नही मिलता है। सड़क में पानी भी नही डाला जाता है। ब्लास्टिंग से घर का छत गिर रहा है। खदान से हमें कोई फायदा नही है।

6. **श्री किशन गोयल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है। बेरोजगार व्यक्ति को खदान खुलने से रोजगार मिलेगा। परिवार का भरण पोषण करेगा। खदान खुलना चाहिए।

7. **श्री मोरध्वज वैष्णव, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ खदान खुलने का समर्थन करता हूं। खदान खुलना चाहिए।

8. **श्री जयचंद गोयल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ प्रदूषण को रोकने के लिये पहले वृक्षारोपण किया जाये। ब्लास्टिंग नही किया जाना चाहिए। सरपंच के बातों का समर्थन करता हूं।

9. **श्री कोमल कुमार साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ खुले हुए खदान का माल गांव से होकर जाता है। पूरा गिट्टी कोदवा तक सड़क में बिछा रहता है। खदान की वजह से पेयजल प्रदूषित हो गया है। खदान का धूल घास और पेड़ पौधे पर जाता है जिससे पशुओं के लिये चारा नही मिल रहा है। ब्लास्टिंग के लिये 15 फीट गहरा बोर किया जाता है जिसका बन्द कराया जाना चाहिए।

10. **श्री मनोज कुमार साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमारे गांव में खदान खुल रहा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

11. **श्री सुरेश कुमार धृतलहरे, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ खदान खुल रहा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

12. **श्री मनीष, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ खदान खुल रहा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

13. **श्री डीहूराम , ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुल रहा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

14. **श्री शत्रुहन लाल मिरधा, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुल रहा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

15. **श्री दशरथ लाल सेन, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ सरपंच की बात से मैं आभारी हूं। खदान खुलना चाहिए ताकि रोजगार मिले। पानी और चारा समस्या को ध्यान में रखते हुए खदान खुले, हमें कोई आपत्ति नही है।

16. **श्री आशाराम साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ नियमों का पालन होता रहे तो हमें खदान से कोई आपत्ति नही है।

17. **श्री सूरज राजपूत, ग्राम–परपोड़ा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुल रहा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

18. **श्री भुवनेश्वर मिरधा, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुल रहा है जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

19. **श्री रामाधार साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ बोर ब्लास्टिंग नही होना चाहिए। धूल के लिये जल छिड़काव की व्यवस्था होना चाहिए।

20. **श्री विनोद पाल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान चलना चाहिए।

21. **श्री हरकृपाल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

22. **श्री धनंजय, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

23. **श्री उमेन्द्र साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

24. **श्री ओमप्रकाश पाल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

25. **श्री राजाराम साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

26. **श्री खेमू साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

27. **श्री पुरूषोत्तम सिन्हा, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

28. **श्री किसनू वर्मा, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

29. **श्री रामकुमार चतुर्वेदी, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलना चाहिए। चार मजदूर का पेट चलता है।

30. **श्री धनराज चतुर्वेदी, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

31. **श्री सुधीर पाल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं। साथ ही साथ गांव की समस्या को देखते हुए सड़क में गड्ढ़ा नही होना चाहिए तथा जल छिड़काव किया जाना चाहिए।

32. **श्री ओमप्रकाश मारकण्डे, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ .खदान खुलने पर सहमत हूं। क्योंकि इससे हमें रोजगार मिलता है। लेकिन खदान काम करने वालू मजदूरों की सेफ्टी जरूरी है। खदान में हर रविवार छुट्टी होना चाहिए।

33. **श्री बुधारू चतुर्वेदी, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

34. **कुमारी उर्मिला गोयल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं। खदान खुलने से रोजगार मिलता है।

35. **श्रीमती रेशमा गोयल, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

36. **श्रीमती सुनीता कुर्रे, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**
➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

37. **श्रीमती कमल साहू, ग्राम–मोहभट्ठा, जिला–बेमेतरा।**

➢ खदान खुलने पर सहमत हूं।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बेमेतरा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को मौखिक रूप से अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- ये नई खदान है। गांव वालों के सभी बातों का हमारे द्वारा ध्यान दिया जायेगा।
- छोटी ब्लास्टिंग किया जायेगा। अधिकृत ब्लास्टर से ही ब्लास्टिंग की जायेगी।
- खदान के चारो ओर सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- रोजगार के लिये स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।
- खदान में सभी सुरक्षा उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- खदान से निकलने वाले सभी ट्रक को तिरपाल से ढ़ंककर बाहर किया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 107 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 37 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 36 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 01.25 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

Aijpuspate

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा